जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व–शाखा)

(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

पत्रांक......................./रा०

प्रेषक,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

दिनांक ....

विषय– श्री राजू दोराई, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, ग्राम– गोंडाई, पंचायत– केयाडचालोम के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आलोक में की गई सुनवाई का आदेश की प्रति का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री राजू दोराई, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, ग्राम– गोंडाई, पंचायत– केयाडचालोम के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) के तहत विभिन्न तिथियों को सुनवाई कर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेश पारित किया गया है।

अतः पारित आदेश की प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

810

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 1076 (A) /रा० दिनांक 16.8.19.

प्रतिलिपि :– श्री हलधर महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

16/8/19

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

(राजस्व–शाखा)

(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

आदेश

खूँटपानी अंचल के ग्राम–गोन्डाई, पंचायत– केयाडचालोम के शिकायतकर्त्ता 1. गीता हाईबुरू, पिता/पति– दिनेश हाईबुरू, 2. जिंगी हाईबुरू, पिता/पति– मिचराय हाईबुरू, 3. मालती हाईबुरू, पिता/पति– गंगाराम हाईबुरू, 4. नागेश्वारी दोराई, पिता/पति– मानसिंह दोराई एवं 5. शीला दोराई, पिता/पति– चंपाये दोराई द्वारा शिकायत की गयी थी कि राशन डीलर राजू दोराई, ग्राम– गोन्डाई, पंचायत– केयाडचालोम ई–पॉश मशीन में पंचिग नहीं करने दे रहा है और माह फरवरी, 2019 से राशन नहीं दिया है। इस संबंध में कार्यालय पत्रांक 736(बी)/रा० दिनांक 27.06.2019 से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को जाँच कर दिनांक 02.07.2019 तक कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया अन्यथा निर्धारित तिथि तक प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के धारा 15(5) के तहत सुनवाई की जायेगी।

विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 135 दिनांक 26.06.2019 के द्वारा दिनांक 18.07.2019 को पूर्वाह्न 10:00 बजे शिकायतकर्त्ता/अपीलकर्त्ता को सूचना देकर बुलाने का निदेश प्राप्त था। इस संबंध में कार्यालय पत्रांकः 776(बी)/रा० दिनांकः 05.07.2019 द्वारा खुंटपानी प्रखंड के ग्राम गोन्डाई पंचायत केयाडचालोम के कार्डधारियों से राशन डीलर के द्वारा पंचिग नहीं करने एवं माह फरवरी, 2019 से राशन नहीं मिलने के संबंध में शिकायत पत्र के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) के तहत् सुनवाई हेतु शिकायतकर्त्ताओं, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटपानी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सुनवाई हेतु नोटिश निर्गत किया गया।

श्री हलधर महतो, माननीय सदस्य झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची के पश्चिमी सिंहभूम के भ्रमण के दौरान उनकी उपस्थिति में दिनांकः 18.07.2019 को सुनवाई हुई। उपस्थित सभी पक्षों को सुना गया। उपस्थित शिकायतकर्त्ता द्वारा बताया गया कि राशन डीलर द्वारा दिनांकः 13.07.2019 को माह फरवरी, 2019 से माह जुन, 2019 तक कुल 05 माह का खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया है परन्तु प्रति माह 02(दो) किलोग्राम कम खाद्यान्न दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार का पक्ष जानने के लिए दिनांकः 24.07.2019 को मध्याहन् 12:00 बजे सुनवाई हेतु पुनः नोटिस निर्गत किया गया। पुनः निर्धारित तिथि को शिकायतकर्त्ता, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटपानी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को भी उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

दिनांक 24.07.2019 को पुनः अद्योहस्ताक्षरी का कार्यालय प्रकोष्ट में सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान श्री राजू दोराई, जन वितरण दुकानदार, ग्राम– कोन्डाई अनुपस्थित थे। शिकायतकर्त्ता 1. श्रीमति जिंगी हाईबुरू पिता/पति मिचराय हाईबुरू, 2. मालती हाईबुरू पिता/पति गंगाराम हाईबुरू एवं 3. नागेश्वरी दोराई पिता/पति मानसिंह दोराई सभी का ग्राम– गोन्डाई, पंचायत– केयाडचालोम, प्रखण्ड–खूँटपानी उपस्थित थे। शिकायतकर्त्ता के कथनानुसार जन वितरण दुकानदार श्री राजू दोराई कार्डधारियों को कम खाद्यान्न देता है और अनावश्यक रूप से परेशान करता है। शिकायत किए जाने के बाद जन वितरण दुकानदार फरवरी 2019 से जून 2019 तक का खाद्यान्न उन्हे उपलब्ध कराया लेकिन उसमें से 2–2 किलोग्राम प्रति माह कम खाद्यान्न दिया।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्त्ता द्वारा दिए गए मौखिक बयान से स्पष्ट होता है कि श्री राजू दोराई, जन वितरण दुकानदार, गोन्डाई द्वारा राशन रहते हुए भी कार्डधारियों को स–समय राशन नहीं देकर अनावश्यक उन्हे परेशान किया जाता है। उनका यह कृत कार्डधारियों को राशन से वंचित करना है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघन है। नोटिस प्राप्ति के बाद भी वह सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ जो उनके स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। अतः श्री राजू दोराई,

जनवितरण दुकानदार को निर्गत अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश दिया जाता है एवं पाँचों शिकायतकर्त्ता 1. गीता हाईबुरू, पिता/पति– दिनेश हाईबुरू, 2. जिंगी हाईबुरू, पिता/पति– मिचराय हाईबुरू, 3. मालती हाईबुरू, पिता/पति– गंगाराम हाईबुरू, 4. नागेश्वारी दोराई, पिता/पति– मानसिंह दोराई एवं 5. शीला दोराई, पिता/पति– चंपाये दोराई को 2–2 किलोग्राम प्रतिमाह के दर से फरवरी 2019 से जून 2019 तक कम दिए गए खाद्यान्न को आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का आदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को दिया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा दोनों आदेश का अनुपालन कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को उपलब्ध कराए।

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।